

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.5.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रूपा सिंह पिता-मनोज सिंह ग्राम-पो०-थाना-तरियानी छपरा, जिला-शिवहर	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
2	सीमा कुमारी पति-विवेक कुमार ग्राम-सतनाग पो०+थाना-चंडी जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
3	चन्द्र मोहन सिंह पिता-स्व० हवलदार सिंह ग्राम-पो०-बौरही थाना-धनरूआ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) स्वीकृत।
4	मो० काफील पिता-स्व नुरदीन शेख ग्राम+पो०-मुरली परसौनी थाना-बलथर जिला-प० चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
5	रघुनन्दन पासवान पिता-स्व० सुखदेव पासवान ग्राम-पो०+थाना बिहरा जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
6	मास्टर सिद्धार्थ कुमार पिता-कैलाश कुमार मांझी ग्राम-63 हनुमान शंकर मंदिर पो०-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- ( पचास हजार) स्वीकृत।

7	विजय कुमार पिता-राम हरसन नन्दन राम ग्राम-पो0-पचरुखीया थाना-पीरो जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	फूल कुमारी देवी पति-राज नन्दन सिंह ग्राम+पो0-सकरी खुर्द थाना-परासी जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
9	नन्दु राय पिता-त्रिभुवन राय ग्राम-जमीनपुर पो0-परसा थाना-डेरनी जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,90,000/- (एक लाख नब्बे हजार) स्वीकृत।
10	बिरेन्द्र प्रसाद चौधरी पिता-बाबु लाल चौधरी ग्राम+पो0 बेलसंड थाना-बरौली जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
11	जैनुल आबेदिन पिता-स्व0 वकील मियां ग्राम-पो0-दंगसी थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) स्वीकृत।
12	सुरेन्द्र सिंह पिता-मल्लु सिंह ग्राम-गोदाढी मठिया पो0-थाना-दावथ जिला-रोहतास	हृदय रोग	₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) स्वीकृत।
13	लालकेशी देवी पति-त्रिगुनाथ प्रसाद ग्राम-पिलखी पो0-पकड़ी, थाना-मशरक जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) स्वीकृत।
14	गौरी शंकर गुप्ता पिता-स्व0 नथुनी साह ग्राम-नवादा पो0-दाउद नगर थाना+जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार) स्वीकृत।
15	ब्रह्मदेव सिंह पिता-स्व0 देव लाल सिंह ग्राम-पो0-लक्ष्मणपुर थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) स्वीकृत।

16	विकास कुमार पिता-किशुन पंडित ग्राम-पो0+थाना-कौवाकोल जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
17	जुलेखा खातुन पति-मो0 अब्दुल हकीम आलम ग्राम-पो0-सबैत थाना-जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
18	प्रमोद कुमार पिता-रामचन्द्र मंडल ग्राम-ठीकाडीह पो0-रजौर रामभद्रपुर थाना-हथौड़ी जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
19	उमेश पंडित पिता-स्व0 बालेश्वर पंडित ग्राम+पो0-पंचदमिया थाना-लालगंज जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
20	सरस्वती देवी पति-मुरारी प्रसाद महतो ग्राम-पो0-माधोपुर थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 21,80,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 21,80,000/- (इक्कीस लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 681253 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 684253 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 921(14)

पटना, दिनांक 28.5.18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
28/5/18

सं० सं० 14/एम 11-2/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक, /अधीक्षक

डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान सं०  
गोमती नगर, लखनऊ 226010

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.5.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	दामोदर मंडल पिता-महेश्वर मंडल ग्राम+पो०-केवटसा थाना-गायघाट जिला-मुजफ्फरपुर पंजीसं०-2018/020281	किडनी रोग	₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- ( एक लाख ) रुपये का क्रास चेक सं०...~~684244~~.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 24/05/18

ज्ञापांक 878(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को /  
आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/18  
निदेशक प्रमुख  
गोमती नगर

सं० सं० 14/एम 11-1/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
नालन्दा मेडिकल कालेज, अस्पताल  
अगमकुंआ, पटना- 800018

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.5.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मोहन कुमार पिता-स्व० गोपाल गोप ग्राम-मैदा टोली माड़वारी कालोनी, पो०-पटना सिटी थाना-खाजेकला जिला-पटना	किडनी रोग	₹ 50,000 /-( पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में
2	कृष्ण नन्दन सिंह पिता-स्व० राम बालक सिंह ग्राम-पी०एन०बी० के पीछे लक्ष्मी निवास के पीछे पो०-झाउगंज थाना-चौक जिला-पटना	किडनी रोग	₹ 50,000 /-( पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 1,00,000 /

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000 /-( एक लाख ) का क्रास चेक सं०..... 684243 संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- जिस-जिस दिन रोगी का डायलेसिस होना हो अधीक्षक, तत्काल आवश्यक राशि B.Braun Dialysis Centre को उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए वो पहले से उनसे विमर्श कर लेंगे।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आर० डी० रंजन)  
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक २१५(१५)

पटना, दिनांक २८.५.१८

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री नन्द किशोर यादव, मा० पथ निर्माण विभाग / सभी संबंधित मरीजों को / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२५/५/१८  
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14 / एम 11-2/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक,  
डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.5.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मनोज कुमार पिता-हरिहर साव ग्राम-मिठापुर बी० ऐरिया नहरपर पो०-जी०पी०ओ० थाना जक्कनपुर जिला-पटना यू.एचआईडीनं०-103062170	न्युरो सर्जरी	₹ 65,000/- (पैंसठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 65,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 65,000/- (पैंसठ हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 684236 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584644, खाता धारक का नाम-AIIMS NEURO SURGERY PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536) RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।



4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

( डा0 आर0 डी0 रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...684896...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/—

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 880(14)

पटना, दिनांक 24/05/18

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
23/5/18  
निदेशक प्रमुख  
श्री. प. क. झा

सं० सं० 14 / एम 11-2/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.5.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आश नारायण सिंह पिता-स्व० महाराजा सिंह ग्राम-इंदौली पो०-मराछी थाना-जामो बाजार जिला-सीवान सीभीन०-2018/14/14545	हृदय रोग	₹ 1,00,000 /-( एक लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /-( एक लाख ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 681237 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584269, खाता धारक का नाम-"AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT'S' ACCOUNT" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536) ,RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आर0 डी0 रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....~~6.8.1.237~~की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 881(14)

पटना, दिनांक 24/05/18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री मिथलेश तिवारी मा0 स0वि0स0/ सभी संबंधित मरीजों /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
24/05/18

सं० सं० 14/.एम 11-2/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

नारायणा सुपर स्पेशलीटी अस्पताल,  
120/1, अंदुल रोड़,  
हावडा-711103

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.5.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	फुलेशरा देवी पति-राम नगीना प्रसाद ग्राम-पो०-सहजौली थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर एमआरएननं०-17650000070304	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल रू० 80,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 80,000/- (अस्सी हजार) रूपया का क्रास चेक सं०.....  
.....मूल रूप में संलग्न है। **681237**
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०

(डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 888(14)

पटना, दिनांक-24/05/18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**23/5/18**  
निदेशक प्रमुख  
21/5/18

सं० सं० 14/एम 11-2/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख  
सेवा में,  
निदेशक,  
मैक्स सुपर स्पेशलिटी, अस्पताल,  
इस्ट ब्लॉक, 2 प्रेस इंकलेभ रोड  
साकेत, नई दिल्ली- 110017

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.5.18 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मास्टर रघुवंश मणी पिता-अनिरुद्ध शर्मा ग्राम-गददोपुर पो०-फखरपुर थाना+जिला-अरवल	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /- ( एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000 /

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 1,00,000 /- ( एक लाख ) रूपया का क्रास चेक सं०.....**684233**..... मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आर० डी० रंजन )

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 24/05/18

ज्ञापांक 883(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख  
24/05/18

सं० सं० 14/एम 11-2/18  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आर० डी० रंजन  
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.5.18 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अनारकली देवी पति-स्व० अशोक सिंह ग्राम-पहाड़पुर दयाल पो०-थाना कुचायकोट जिला-गोपालगंज सीआरनं०-2018253001	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
2	सुनीता राज पति-भोला नाथ साह ग्राम-महावीर स्थान पो०+थाना-रोसड़ा जिला-समस्तीपुर सीआरनं०-2018178277	पेट रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता पिता-बैजनाथ प्रसाद ग्राम-नई बाजार थाना मोडल पो०-जिला-बक्सर सीआरनं०-2017013446	ब्रेन टयुमर	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
4	धीरज कुमार पिता-रघुनाथ सिंह ग्राम+पो०-थाना-उदवतनगर जिला-भोजपुर आरा सीआरनं०-2012287131	किडनी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
5	आदर्श राज पिता-पवन कुमार यादव ग्राम-लक्ष्मीपुर पो०+थाना-इस्माईलपुर जिला-भागलपुर सीआरनं०-2018077865	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।

६

6	चंपा देवी पति-अशोक प्रसाद ग्राम-डुमरी पो0-खबरा, थाना-सदर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-2015930825	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-- ( एक लाख) स्वीकृत ।
7	प्रशान्त कुमार पिता-प्रभु कुमार ग्राम+पो0-आधारपुर थाना-मुफसिल जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन0-2017674162	पेट रोग	₹ 50,000 /-- ( पचास हजार) स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
8	रिजवान पिता-युनुस ग्राम-पो0-महेशा मुंडा थाना-कहलगांव जिला-भागलपुर सीआरन0-2017482848	न्युरो सर्जरी	₹ 60,000 /-- ( साठ हजार) स्वीकृत ।
9	रोहन कुमार पिता-हीरा लाल साह ग्राम-सुगौली गांव पो0-थाना-सुगौली जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-2017829202	किडनी रोग	₹ 50,000 /-- ( पचास हजार) स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
10	कांति देवी पति-भगवान सिंह ग्राम-परसौनी खेम पो0-बारा चकिया थाना-चकिया जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-2018046198	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 3,00,000 /-- ( तीन लाख) स्वीकृत ।
11	राम नारायण ठाकुर पिता-भरत ठाकुर ग्राम-बथना, पो0-बिजधारी थाना-केसरिया जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन0-2018306767	सर्जरी	₹ 80,000 /-- ( अस्सी हजार) स्वीकृत ।
12	कृष्णा प्रसाद केसरी पिता-राम खेलावन प्र0 केसरी ग्राम-नन्द गोला पटना सिटी पो0-माधव मिल्स थाना-मालसलामी जिला-पटना सीआरन0-2017663865	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-- ( पचास हजार) स्वीकृत ।
13	किसनावती देवी पति-राम रतन भगत ग्राम-अन्गौता पो0-मिर्जापुर थाना-नौतन, जिला-सीवान सीआरन0-20171095427	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-- ( एक लाख पचास हजार) स्वीकृत ।

14	अजय कुमार पिता-लाल बाबु राय ग्राम-विश्वनाथपुर पो0+थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी सीआरनं0-2015146641	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 3,00,000 /-( तीन लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 16,80,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,80,000 /-( सोलह लाख अस्सी हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 684232 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

(डा0 आर0 डी0 रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 684232 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 / -

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 879(14)

पटना, दिनांक 24/05/18

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी बक्सर / श्री सचिन्द्र प्र0 सिंह मा0 स0वि0स0 कल्याणपुर / श्री नन्द किशोर यादव, मा0 पथ निर्माण विभाग / श्री रमेश सिंह कुशवाहा, मा0 स0वि0स0 जीरादेई / सभी संबंधित मरीजों / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/5/18  
निदेशक प्रमुख  
श्री. सिंह